



प्रेस नोट

दिनांक 18.11.2024

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.11.2024 को थाना जरिया पुलिस के द्वारा अभियुक्त सतीश पुत्र भान सिंह राजपूत निवासी ग्राम अमूंद थाना जरिया जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 21 वर्ष) को 01 अदद अवैध देशी तमंचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 295/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त सतीश पुत्र भान सिंह राजपूत निवासी ग्राम अमूंद थाना जरिया जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 21 वर्ष)

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध देशी तमंचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव
- 2.हे0का0 शिवेंद्र सिंह
- 3.का0 अभिषेक कुमार

